

# FORM No. III

## फर्द अहकाम





(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अखिलेश्वरी मुकाम चित्तौड़गढ़

कन्हैयालाल बनाम कालु

किस्म मुकदमा जा.पत्र नं. 380 सन् 2023

(2023/300)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15 <sup>01</sup> / <sub>24</sub>	<p>इस्थितिकता प्रमाणित एवं गवामलिन प्राणीगण की संरक्षिका मण्डल देऊ का हू उषण प्रस्तुत प्रामेण प्रमाण से सम्बन्धित वार पत्र संख्या 140/2023 कि विज्ञापन से उभरीज हो चुका है, जिससे इस प्रकार से अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। उक्त में दिनांक 14.8.2023 को जारी अंतरिम आदेशी निषेधाज्ञा रद्द कर दी जा रही है। पत्रावली नैसर्ग शुभा होकर नम्बर से काम हो एवं वार पत्र पत्रावली 140/2023 से कार्य चलाने की जाये।</p> <p style="text-align: center;">               सहायक कलेक्टर,              (उपखण्ड अधिकारी)              चित्तौड़गढ़           </p>	<p> देऊ का हू</p> <p> 14/8/2023</p> <p> 14/8/2023</p>